



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 27 जनवरी 2015—माघ 7, शक 1936

#### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2015

क्र. 901-28-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 20 जनवरी 2015 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

#### मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ६ सन् २०१५

#### मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि ( संशोधन ) अधिनियम, २०१४

[दिनांक २० जनवरी, २०१५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” में दिनांक २७ जनवरी, २०१५ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, १९५७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, २०१४ है।

संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, १९५७ (क्रमांक ७ सन् १९५७) की धारा ३ में, शब्द “दो सौ करोड़ रुपये” के स्थान पर, शब्द “पाँच सौ करोड़ रुपये” स्थापित किए जाएं।

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2015

क्र. 902-28-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 6 सन् 2015) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव।

**MADHYA PRADESH ACT  
No. 6 OF 2015**

**THE MADHYA PRADESH CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) ACT, 2014**

**[Received the assent of the Governor on the 20th January, 2015; assent first published in the “Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)”, dated the 27th January, 2015.]**

**An Act further to amend the Madhya Pradesh Contingency Fund Act, 1957.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-fifth year of the Republic of India as follows :—

**Short title.**

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Contingency Fund (Amendment) Act, 2014.

**Amendment of  
section 3.**

2. In section 3 of the Madhya Pradesh Contingency Fund Act, 1957 (No. 7 of 1957), for the words “two hundred crores rupees”, the words “five hundred crores rupees”, shall be substituted.